

आज दिनांक 30/5/2022 को A.C.D कोर्ट न. 3 जयपुर के जज श्री राजेंद्र कुमार सैनी ने 09 साल पुराने भ्रष्टार आरोपी हरिकिशन गौड तत्कालीन S.H.O पुलिस थाना मुहाना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 02-02 साल के कठोर कारावास एवम पचास हजार के जुर्माने से दोषी करार दिया। मामले में आरोपी थाना अधिकारी मुहाना द्वारा फरियादी ओमप्रकाश पुत्र लाधु राम के विरुद्ध दर्ज मुकदमा न. 110/2013 में फरियादी की सहायता करने व एफआर लगाने की एवज में 1लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। A.C.B जयपुर द्वारा ट्रैप जाल बिछाकर थाना अधिकारी मुहाना जयपुर को दिनांक 16-07-2013 को ट्रैप किया था एवम उसके घर से रिश्वति नोट बरामद किए थे।